बनाम फलाशी (नगरा)

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111-120 नं0 231 सन् 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.11.22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29.11.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
29/11/22	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 17.1.23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
17-1-23	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 24.1.23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
24.1.23	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार एक एक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:46:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 231/22 प्रा०पत्र

1–श्री सम्पत लाल S/o श्री रामचन्द्र सोडानी (महाजन) निवासी- सदर बाजार भगवानपुरा तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री कैलाश S/o श्री शिवनारायण ब्राह्मण निवासी- ब्राह्मणों की सरेरी तहसील-आसीन्द
श्री हीरा S/o श्री गंगाराम कुमावत निवासी- काशीराम जी की खेड़ी तहसील-माण्डल
श्री रतना S/o श्री नानु भील निवासी- भगवानपुरा तहसील-माण्डल
श्री कैलाश S/o श्री मदन माली निवासी- भगवानपुरा तहसील-माण्डल
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 24.01.23

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके युक्त खाते की आराजी नं. 142, 143 कुल किता 02 रकबा 1.8338 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावें।

र्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.11.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार नपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 142, 143 02 रकबा 1.8338 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख भगवानपुरा को 700/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने न् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:46:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा